expect the final report of the Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) Yes, Sir. All the proposals for staff since inception of the Commission were considered and posts sanctioned to the Commission for carrying out its work as per its Terms of Reference.

(b) and (c) Depending upon the reference received from Jain Commission of Inquiry, the Central Government have been providing and will provide relevant material, claiming privilege wherever necessary.

(d) There is no conflict with the Commission. Nor have the Central Government decided to wind up the Commission. It is very difficult to say with certainty as to when the Commission will be able to complete its inquiry and submit its final report to the Central Government.

Ethnic clashes

2161. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in a fresh spurt of ethnic clashes many kukis were killed by the Nagas indicating again the disturbance in this area; and

(b) if so, the steps taken by Government to check and assure the non repetition of such crimes and caste war again?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) and (b) In some recent incidents in Manipur both Kukis and Nagas were killed. The State Government was advised to take immediate necessary measures to prevent recurrence of incidents and provide necessary relief. According to the State Government, Security Forces rushed to the spot and launched combing operations. Seven persons, who were suspected to have given shelter to the insurgents, have been arrested. In order to check any retaliatary action or escalation the District Police, CRPF and Manipur Rifles have been put on high alert besides contacting community leaders to observe forbearance and restraint.

Rajiv Gandhi assassination case

2162. SHRI K. R. MALKANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the reasons for delay of three years to begin the Rajiv Murder Case; and

(b) by when it is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) The reasons for delay inter-alia include the followings:—

(i) Very large number of witnesses in the case.

(ii) Large number of voluminous documents which were required to be translated into Tamil as per Court orders.

(iii) High security Court-cum-Jail Complex had to be provided on security considerations.

(iv) The accused took time in deciding about the lawyers to defend them.

(v) Boycot of proceedings and other dilatery tactics adopted by the accused.

(vi) Large number of criminal miscellaneous petitions were filed by the accused before the trial Court, which had to be disposed off.

(b) In order to speed-up the trial, the Designated Court has been given exclusive responsibility to try only the assassination case of Late Shri Rajiv Gandhi. Prosecution is taking all steps to ensure speedy and fair trial in the case.

स्वीकृति हेतु लंबित विधेयक

2164. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु लंबित है ;

(ख) इन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब तक मिल जाएगी ; और

(ग) उक्त विधेयक स्वीकृति हेतु कब से लंबित हैं और इन बिलों का धारा-वार विवरण क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) बम्बई ईनाम (कच्छ क्षेत्र) समापन (गुजरात संशोधन) विधेयक, 1994 दिनांक 1.8.1994 को राष्ट्रपति के विचारण के लिए प्राप्त हुआ है । राज्य विधायनों ने भारत सरकार के संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा जांच करने तथा जहां आवश्यक हो वहां राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किए जाने की मांग की है । विधेयकों को शीघ्रता से निपटाने के लिए अनुस्मारक भेजे जाते हैं तथा जहां आवश्यक होता हैं विचार-विमर्श भी किया जाता है ।

विधेयक का आशय बम्बई ईनाम (कच्छ क्षेत्र) समापन अधिनियम 1958 की धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट ईनामदार के ऋणदाता या उप-ईनाम के धारकए द्वारा दावा अधिसूचित करने की अवधि; उपरोक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्दिष्ट ईनामदार या धारक को देय मुआवजे की धनराशि के निर्धारण के लिए आवेदन पत्र देने की अवधि और धारा 16 की उपधारा (2) के अंतगर्गत निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को देय मुआवजे के लिए आवेदन-पत्र देने की अवधि, दिसम्बर, 1994 के अन्त तक बढाए जा सकने की व्यवस्था करना है ।

एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाये गये आरोप

2164. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्त राम जायसवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1994 के "दैनिक हिन्दुस्तान" में "दिल्ली पुलिस की निगरानी में बंदियों की सर्वाधिक मौतें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार प्रकाशित समाचार में एमनेस्टी इटरनेशनल द्वारा लगाए गये आरोपों को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस एवं आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) सरकार को प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट की तथा उसमें सदर्भित एमनेस्टी इटरनेशनल की रिपोर्ट की जानकारी है । रिपोर्ट में लगाए गए कई आरोप तो पूर्णतया : अन्यान्य प्रकृति के हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं । तथापि, सरकार की स्पष्ट नीति यह है कि जब कभी पुलिस/सुरक्षा बलों के सदस्यों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती है तो उसकी जांच की जाती है तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है ।

सरकार ने, समय-समय पर, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के दिशा-